

Seventeenth Loksabha

an>

Title: Papers laid on the Table by Members/Ministers.

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे - श्री पंकज चौधरी जी ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : माननीय सभापति महोदय, मैं सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) का.आ.5226(अ) जो 15 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं.36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (2) दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 98/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (3) दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 99/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (4) दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 100/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (5) दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 101/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (6) दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 102/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा

को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (7) दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 103/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (8) दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 104/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (9) दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 105/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (10) दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 106/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (11) का.आ.5496(अ) जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं.36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (12) दिनांक 3 जनवरी, 2022 की अधिसूचना संख्या 01/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (13) दिनांक 6 जनवरी, 2022 की अधिसूचना संख्या 02/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को

विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (14) का.आ.194(अ) जो 14 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं.36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (15) दिनांक 20 जनवरी, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 6508/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Commerce and Industry for the year 2022-2023.
- (2) Output Outcome Monitoring Framework of the Department of Commerce and Industry, Ministry of Commerce and Industry for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 6509/17/22]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) वर्ष 2022-2023 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
- (2) वर्ष 2022-2023 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा ।

[Placed in Library, See No. LT 6510/17/22]

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6511/17/22]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) वर्ष 2022-2023 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
- (2) वर्ष 2022-2023 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा ।

[Placed in Library, See No. LT 6512/17/22]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) : माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6513/17/22]

- (3) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
 (दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6514/17/22]

- (5) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
 (दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6515/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority, New Delhi, for the year 2020-2021, along with Audited Accounts.
 (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pension Fund Regulatory and Development Authority, New Delhi, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 6516/17/22]

- (2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (a) (i) Review by the Government of the working of the General Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2020-2021.
- (ii) Annual Report of the General Insurance Corporation of India, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6517/17/22]

- (b) (i) Review by the Government of the working of the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders of IIBI), Kolkata, for the period from 01.10.2021 to 31.12.2021.
- (ii) Liquidator's Report on the Industrial Investment Bank of India Limited (Voluntary winding up of IIBI to the Equity shareholders of IIBI), Kolkata, for the period from 01.10.2021 to 31.12.2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (a) of (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 6518/17/22]

(4) A copy of the Payment and Settlement Systems (Amendment) Regulations 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No CO.DPSS/Ovrst.No.S1417/06.08.001/2021-22 in weekly Gazette of India dated 16th February, 2022 under sub-section (3) of Section 38 of the Payment and Settlement Systems Act, 2007.

[Placed in Library, See No. LT 6519/17/22]

(5) A copy of the Life Insurance Corporation of India (Staff) Amendment Rules 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.58(E) in Gazette of India dated 31st January, 2022 under sub-section (3) of Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.

[Placed in Library, See No. LT 6520/17/22]

(6) A copy of the Notification No. F. No. IRDAI/RI/1/180/2022 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th January, 2022 regarding 'Obligatory Cession for the financial year 2022-23' under sub-section (3) of Section 114A of the Insurance Act, 1938 and Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

[Placed in Library, See No. LT 6521/17/22]

12.03 hrs